FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं SDO मुकाम बायतु

खेताराम बनाम रुगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० भा० 111,128 RLRAct नं. 221/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/07/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/08/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24/08/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/09/2021 को पेश हो। [signature]	
14/09/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई [illegible] बहस पत्रावली दिनांक [illegible]/09/2021 [illegible] पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

27/09/21

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनुपस्थित / प्रार्थी के अधिवक्ता की एक-पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत पास-पास व सेढ़-सेढ़ आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतो के मध्य जो पुराने माढे व ढ़ढ़े आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेढो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु पत्थरबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पत्थरबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर व सम्बधित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की पत्थरबंदी मौके पर [illegible] करके जमाबन्दी करें। पालना रिपोर्ट [illegible] प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1196 दिनांकः– 27/09/2021

राजस्व आवेदन संख्या – 221 / 2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. खेताराम पुत्र पेलादराम 2. राउराम पुत्र पेलादराम जाति जाट, नि. कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु(बाड़मेर)		1. रूगाराम पुत्र अर्जुनराम वगैरा. जाति जाट, नि. कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा –कोसरिया, पटवार मण्डल – कोसरिया, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 76 रकबा 4.3524 हैक्टयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 24.3024 हैक्टयर, भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर, बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1197-1201 27/09/2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेताराम पुत्र पेलादराम
4. विप्रार्थी श्री रूगाराम पुत्र अर्जुनराम वगैरा.40
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर, बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested